संख्या-141/2021/998/22-2-2021-17(546)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, जो कस्बा-बेवर, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-09-1996 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जीप द्वारा मैनपुरी से बेवर जा रहे 06 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-97/2005 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 20 वर्ष, 07 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मैनपुरी, पुलिस अधीक्षक, जनपद-मैनपुरी एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- मैनपुरी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में आशक्त नहीं होने, अपराध में पुन: संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मैनपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-09-1996 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जीप से मैनपुरी से बेवर जा रहे 06 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की दशा में उसकी जानमाल की सुरक्षा न रहने, समयपूर्व रिहाई से मृतकों के सम्बन्धियों में रोष व्याप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विपिन कुमार (बन्दी संख्या-26919) पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-141/2021/998(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-141/2021/998/22-2-2021-17(546)/2021

दिनांक 11 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, जो कस्बा-बेवर, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-09-1996 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जीप द्वारा मैनपुरी से बेवर जा रहे 06 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-97/2005 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2020 तक 20 वर्ष, 07 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मैनपुरी, पुलिस अधीक्षक, जनपद-मैनपुरी एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- मैनपुरी ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में आशक्त नहीं होने, अपराध में पुन: संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मैनपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-09-1996 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जीप से मैनपुरी से बेवर जा रहे 06 व्यक्तियों की बन्दूक, रायफल से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की दशा में उसकी जानमाल की सुरक्षा न रहने, समयपूर्व रिहाई से मृतकों के सम्बन्धियों में रोष व्याप्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र दीक्षित को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in